यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** के माह 04/2015 से 11/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2016 से 03.01.2017 तक श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री जी.के. बत्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.05.2015 से 22.05.2015 तक श्री डी.के. पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी। जिसमें माह 04/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान में लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- चिकित्सा सेवाएं, सम्पूर्ण देहरादून
(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर-स्थापना		बचत	बचत गैर
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	स्थापना
2014-15	-	-	2488.67	2365.47	722.54	601.48	123.30	121.06
2015-16	-	-	1789.82	1618.37	275.79	275.60	171.45	0.19
2016-17	-	-	1510.57	981.84	269.79	195.00	528.73	74.79

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय आधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	जिला योजना	0	271.00	269.93	1.07
	राज्य योजना	0	142.12	142.12	00
2015-16	जिला योजना	0	175.00	169.30	5.70
	राज्य योजना	0	460.80	460.80	00
2016-17	जिला योजना	0	124.43	28.14	96.29
	राज्य योजना	0	140.50	140.50	00

(III) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (ए) श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन क आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/20106 एवं 06/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर: 01- ` 3.91 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि का बैंक में अवरुद्ध पड़ा रहना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 99/xxvii/(14)200 दिनांक 03-09-2009 के द्वारा अवगत कराया गया था कि यदि किसी कारणो से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न हुआ हो और उस पर ब्याज अर्जित हो तो उसे राजकोष के 0049 ब्याज प्राप्तिया लेखाशीर्ष मे जमा किया जाय। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहारादून द्वारा संचालित बैंक खाता संख्या 1532000101277131 पी एन बी रेसकोर्स देहारादून मे ` 3.91 लाख अर्जित ब्याज कि धनराशि जमा है। (विवरण संलग्न)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ब्याज के रूप मे अर्जित ` 3.91 लाख ब्याज की अर्जित धनराशि खातों मे अवरुद्ध पड़ी हुयी थी।

इस संबंध मे इकाई से पुछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित अर्जित ब्याज की धनराशि के संबंध में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

अतः ` 3.91 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि का खातों में अवरुद्ध पड़े रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-2- ` 1.26 लाख श्रम उपकर की वसूली नहीं किया जाना।

श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी के पत्र संख्या 1861/छः-24-बी0ए0ओ0सी0/2010 दिनांक 15 जून 2012 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो जिसमें सरकारी एवं अर्धसरकारी विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य भी सम्मिलित है, में नियोजित श्रमिकों को हितलाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। निर्माण श्रमिकों को देय हितलाभ बोर्ड की कल्याण निधि से दिये जाएंगे। बोर्ड की कल्याण निधि में धन की व्यवस्था हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं केंद्र सरकार द्वारा बनायी गयी उपकर नियमावली 1998 के अंतर्गत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर के रूप में संग्रह करके संग्रहित धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से श्रम भवन हल्द्वानी प्रेषित किया जाएगा। इकाई की लेखापरीक्षा अवधि माह 04/2015 से 11/2016 तक की रोकड़ बही तथा निर्माण कार्यो हेतु भुगतानित देयकों ` 12605657 के सापेक्ष एक प्रतिशत की दर से ` 1.26 लाख उपकर की वसूली नहीं कि गयी थी। विवरण संलग्न है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि भविष्य मे सभी बिलों से उपकर की वसूली की जाएगी। अतः ` 1.26 लाख श्रम उपकर की वसूली नहीं किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:03- कार्यदायी संस्था को निर्माण स्थल विलंब से उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप कार्य की लागत मे सम्भावित वृद्धि ` 207.42 लाख।

मसूरी संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य भवन के निर्माण की स्वीकृति उत्तराखंड शासन द्वारा ` 350.54 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृति के सापेक्ष ` 150 लाख की धनराशि की प्रथम किस्त जारी की गयी (फरवरी 2009)। चिकित्सालय भवन का निर्माण पूर्व निर्मित चिकित्सालय भवन को तोड़कर प्राप्त भूमि में किया जाना था। चिकित्सालय भवन जनवरी 2011 मे ध्वस्तिकरण हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया गया। ध्वस्तिकरण के पश्चात फरवरी 2012 मे भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत लागत ` 350.54 लाख के सापेक्ष ` 149.76 लाख की धनराशि की दूसरी किस्त शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी (मार्च 2014)। विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु ऊ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को निर्माण एजेंसी नामित किया गया तथा विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ सितंबर 2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि दिसंबर 2014 निर्धारित की गयी थी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया की शासन द्वारा परियोजना की स्वीकृति फरवरी 2009 में प्रदान की गयी थी तथा कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) 03 वर्ष से भी अधिक समय बाद सितंबर 2012 में किया गया। जांच मे पाया गया कि योजना की स्वीकृति के समय निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं था क्योकि चिकित्सालय का निर्माण पुराने जीर्ण शीर्ण भवन को तोड़कर उसी स्थान पर किया जाना था। इस प्रकार कार्यस्थल कार्यदायी संस्था को परियोजना कि स्वीकृति के 2 वर्ष बाद उपलब्ध कराया गया जिससे परियोजना का कार्य विलंब से आरंभ हुआ। निर्माण इकाई द्वारा परियोजना हेतु ` 557.96 लाख का पुनरीक्षित आगणन महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रेषित किया गया है। लेखा परीक्षा तिथि तक पुनरीक्षित आगणन पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा मे पूछे जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भवन का निर्माण पुराने निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को तोड़कर उसी स्थान पर किया जाना प्रस्तावित था तथा तत्कालीन समय उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे से चिकित्सा सेवाएँ संचालित हो रही थी व परिसर मे आवासीय भवन श्रेणी 2 के दो व श्रेणी 4 के दो भवन निर्माणाधीन थे। जिनके पूर्ण होने पर दिसंबर 2010 मे चिकित्सालय को अवसीय भवनो मे संचालित किया गया व जनवरी 2011 मे भवन कार्यदायी संस्था को ध्वस्तिकरण हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके कारण कार्य प्रारम्भ होने मे विलंब हुआ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि यदि आवासीय भवनो का निर्माण प्रगति पर था जिनमे भविष्य मे चिकित्सालय संचालित किए जाने का प्रस्ताव था तो आवासीय भवनो के पूर्ण होने के बाद ही परियोजना का प्रस्ताव वर्ष 2011 मे शासन को प्रेषित किया जाना चाहिए था। विभाग द्वारा परियोजना का प्रस्ताव पूर्व मे शासन को प्रेषित किया गया तथा शासन से परियोजना संबंधी स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी जिसके परिणाम स्वरूप कार्य प्रारम्भ होने तक जारी धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध रही तथा निर्माण स्थल कार्यदायी संस्था को विलंब से प्राप्त होने के कारण परियोजना कि लागत में ` 207.42 लाख की संभावित वृद्धि हुई क्योकि कार्य विलंब से प्रारम्भ होने के कारण परियोजना का पुनरीक्षित आगणन गठित कर कार्यदायी संस्था द्वारा विभाग को प्रेषित किया गया है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:04- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्रो से यूजर चार्जेज के रूप में वसूल कि गयी राशि ` 32.74 लाख में पी0एम0यू0 एवं गैर सरकारी संगठन के बैंक खातों मे अवरुद्ध रखा जाना।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड द्वारा राज्य के कुल 06 शहरो में 36 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्थाओ का चयन किया गया (जुलाई 2015) देहारादून शहर हेतु कुल 16 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के संचालन की स्वीकृति दो गैर सरकारी संस्थाओ क्रमश: एस0पी0डी0 (Society of people for development, D.Dun) तथा समर्पण संस्था देहरादून को प्रदान की गयी जिनको कुल आठ आठ प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रो के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। एस0पी0डी0 नामक संस्था को ` 28,89,000 तथा समर्पण संस्था को ` 28,28,000 प्रति यू0पी0एच0सी0 लागत निर्धारित की गयी। संबन्धित संस्थाओ के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध कि शर्तो के अनुसार प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य केंद्र के संचालन हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तो का पालन करना सुनिश्चित किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि उक्त दो संस्थाओ द्वारा जनपद में अगस्त 2010 से जुलाई 2015 तक नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रो का संचालन किया जा रहा था जिनमे से 03 एस0पी0डी0 द्वारा तथा 06 समर्पण संस्था द्वारा संचालित थे। उक्त संस्थाओ द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रो से ` 10 प्रति मरीज यूजर चार्जेज का संकलन किया जा रहा था उक्त धनराशि का संकलन अगस्त 2010 से जुलाई 2015 तक तथा अगस्त 2015 से लेखापरीक्षा तिथि तक किया जा रहा था। एस0पी0डी0 संस्था द्वारा अगस्त 2010 से सितंबर 2016 तक की संकलित यूजर चार्जेज की राशि ` 11,70,681 जनपद के पी0एम0यू0 के खाते मे जमा कि गयी थी परंतु दूसरी संस्था समर्पण द्वारा उक्त अवधि में पी0एम0यू0 के खाते में केवल ` 6,80,460 की धनराशि जमा की गयी। अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि समर्पण नामक संस्था द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रो में यूजर चार्जेज की राशि वसूल कि गयी परंतु ` 13,75,930 की धनराशि पी0एम0यू0 के खाते मे जमा नहीं की गयी। आगे अभिलेखो कि जांच मे यह भी पाया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी के अंतर्गत पी0एम0यू0 के खाते में संस्थाओ द्वारा जमा की गयी ` 18,97,771 की यूजर चार्जेज की धनराशि अगस्त 2010 से अवरुद्ध रखी गयी थी तथा उक्त राशि को व्यय किए जाने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर बताया गया कि समर्पण संस्था द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के यूजर चार्जेज कि संग्रह की गयी राशि जमा नहीं की गयी है जिसके लिए

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। संग्रह की गयी राशि को पी0एम0यू0 के खाते मे अवरुद्ध रखे जाने के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि राज्य कार्यालय द्वारा इस हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश न मिलने के कारण संकलीत राशि व्यय नहीं की गई है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि गैर सरकारी संस्था समर्पण द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रो के गरीब शहरी मरीजों से विगत 06 वर्षो से वसूल कि गयी यूजर चार्जेज की राशि के ` 13.76 लाख अपने खातों मे रोककर/अवरुद्ध रखे गए थे तथा जनपद के पी0एम0यू0 खाते में यूजर चार्जेज के ` 18.98 लाख अवरुद्ध रखे गए थे तथा उक्त धनराशि को व्यय किए जाने हेतु कोई कार्ययोजना जिला चिकित्साधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गयी थी।

इस प्रकार यूजर चार्जेज के ` 32.74 लाख विगत 6 वर्षो से खातों में अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
9	18	31

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. एस.पी. अग्रवाल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2.	डॉ. वाई एस. थपलियाल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)